कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।

संख्या 698/आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक जून 22, 2014

आदेश

दिनांक 03 व 17 जून 2014 को तहसील दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन इस ढंग से नहीं किया जा रहा है कि जन सामान्य को राहत पहुंच सके और उनकी समस्यायें समाप्त हो सकें।

उपरोक्त स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि जिस किसी तहसील दिवस में किसी विभाग की 10 या अधिक शिकायतें प्राप्त होंगी, उन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को शिथिल पर्यवेक्षण का दोषी मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जायेगा और लघु दण्ड की कार्यवाही अपेक्षित करते हुए उनके विभागाध्यक्ष को लिखा जायेगा।

अतः अपेक्षा की जाती है कि तहसील दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में गम्भीरता का रूख अपनाया जाय और अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि विभाग से सम्बन्धित जन समस्याओं का निराकरण इस तरह से करें कि जनता सन्तुष्ट हो। यदि कोई समस्या ग्राम स्तरीय अधिकारी के स्तर की नहीं है तो उसे आप समय रहते दूर करायें, जिससे तहसील दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों से बचा जा सके।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर।
2– पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अधीनस्थों को निर्देश प्रसारित करने हेतु।
3– समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
4– जिला सूचना अधिकारी फर्रूखाबाद को प्रकाशनार्थ।
5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी फर्रूखाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।